प्रेस नोट दिनांक-01.07.2025

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

अवैध रूप से देशी शराब बिक्री करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार- 45 अदद देशी पाउच शराब बरामद

दिनांक 30.06.2025 को थाना फतनपुर के उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह का0 रामनिवास, कां0 दीपक राजभर द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की तलाश तथा लंबित विवेचनाओं की जांच के क्रम में भ्रमणशील थे। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति टीवीएस रेड़ान मोटर साइकिल से अवैध देसी शराब लेकर जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर चेकिंग के दौरान कि कटका भट्टा के पास मोड़ पर मोटर साइकिल सहित एक व्यक्ति सुरेश चन्द्र बिन्द पुत्र बिजय राम बिन्द निवासी ग्राम निवासी ग्राम मदरा रोहखुर्द थाना थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 अदद देशी पाउच ब्लयू लाइम देशी शराब बरामद किया गया। मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 138/2025 धारा 60, 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
01. सुरेश चन्द्र बिन्द पुत्र बिजय राम बिन्द निवासी ग्राम निवासी ग्राम मदरा रोहखुर्द थाना थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष

बरामदगीः-
45 अदद देशी पाउच शराब (ब्लयू लाइम देशी शराब, 200 एमएल प्रति पाउच)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब/बियर की बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है।

पुलिस टीमः-
उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह का0 रामनिवास, कां0 दीपक राजभर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

माह जून में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कृत सराहनीय कार्य-

अपराध नियंत्रण / कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही जारी-

71 गैंगस्टर के विरूद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 19 अभियोग पंजीकृत-

माह जून में हुए 09 पुलिस मुठभेड़ में 13 शातिर अभियुक्त घायल/ गिरफ्तार, जिसमें 09 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान घायल

पुरस्कार घोषित कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार
50 हजार रूपये के 05 इनामिया, 25 हजार रूपये के 07 इनामिया गिरफ्तार

02 गैंग सूचीबद्ध किये गये 06 अपराधियों के विरुद्ध-
गैंग लीडर व गैंग सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु किया गया सूचीबद्ध

पेशवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु माह जून में खोली गई कुल 36 एचएस (हिस्ट्रीशीट)

आपरेशन कन्विक्शन के तहत मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष से अधिक कारावास की सुनाई गई सजा

यूपी-112 प्रतापगढ़ पीआरवी वाहनों का कम हुआ औसत रिस्पांस टाइम
माह जून में 06.10 मिनट रहा औसत रिस्पांस टाइम

जनपद प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाना द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार 28 पीड़ित/पीड़िता के ₹ 5,48,711/-रूपये वापस कराये गए।

मादक पदार्थों का निस्तारण/विनष्टीकरण कराया गया जिसकी अनुमानित कीमत ₹88,00,000/- (अट्ठासी लाख रुपये)

माह जून में जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों की चल-अचल सम्पत्ति (कुल 01 करोड़ 94 लाख रुपये) को कुर्क किया गया (जिसमें अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह की 84 लाख रुपये व अभियुक्त गुलशन यादव की 01 करोड़ 10 लाख)

यातायात पुलिस प्रतापगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान 5623 वाहनों का चालान, 78 वाहनों को सीज किया गया तथा नो पार्किंग में खड़े 38 वाहनों को टोचन तथा 923 वाहनों का किया गया नो- पार्किंग चालान
यातायात पुलिस द्वारा जागरुकता अभियान चलाकर 2783 वाहनों में लगाया गया रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप एवं 1835 मोटर कैब, ई-रिक्शा वाहनों का किया गया सत्यापन, कुल सीज 78 वाहनों

प्रतापगढ़ ।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है ।

71 गैंगस्टर के विरूद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 19 अभियोग पंजीकृत
थाना कोतवाली नगर से 03, थाना आसपुर देवसरा से 02, थाना देल्हूपुर से 02, थाना कोतवाली देहात से 02, थाना कंधई से 02 व थाना मानिकपुर से 01, थाना मान्धाता से 01, थाना लालगंज से 01, थाना महेशगंज से 01, थाना कुण्डा से 01, थाना हथिगवां से 01, थाना बाघराय से 01, थाना सांगीपुर से 01 अभियोग, इस प्रकार कुल 19 अभियोग दर्ज किये गये ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में बीट पुलिस कर्मियों (मुख्य आरक्षी/आरक्षी) की अहम भूमिका रही है । अदम्य साहसपूर्ण एवं उत्कृष्ठ कार्य करने वाले बहादुर बीट आरक्षियों को एसपी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्द्धन किया गया ।

09 पुलिस मुठभेड़, 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी-
थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबगंज रोड़ रघुवापुर थाना लीलापुर के पास से गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में अब्दुल रब के दाहिने पैर में गोली लगी थी-
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुर नहर पुलिया के पास थाना लालगंज पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम से हुई- मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
थाना बाघराय पुलिस व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त टीम से हुई थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोचनापुर ग्राउण्ड के पास मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली/गिरफ्तार-
थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राईस मिल तिराहा, सलेम भदारी के पास मुठभेड़ में ईनामिया 25000/- रूपये का अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत पटेरियापुर तिराहा के पास थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम की संयुक्त टीम से थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गडई चकदेईया के पास पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
थाना कोतवाली देहात पुलिस क्षेत्रान्तर्गत भदोई बायपास के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली/गिरफ्तार-
थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिरनपुर (आवला के बाग) के पास पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व गिरफ्तार किया गया-
थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व गिरफ्तार किया गया-

01- दिनांक 03.06.2025 को थाना लीलापुर थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर के मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309 (6) / 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. अब्दुल रब पुत्र मो0 अली उर्फ हजरत अली निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र 24 वर्ष, 2. साहिद खान उर्फ बब्लू पुत्र मो0 सलीम उर्फ नन्हे निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को लूट के 01 मोबाइल व 700/-रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबगंज रोड़ रघुवापुर थाना लीलापुर के पास से गिरफ्तार किया गया । मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में अब्दुल रब के दाहिने पैर में गोली लगी है । फायरिंग के दौरान घायल अभियुक्त अब्दुल रब उपरोक्त का दवा, इलाज सीएचसी लालगंज में चल रहा है । घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को सीज किया गया ।

02- आज दिनांक 05.06.2025 की रात्रि को थाना लालगंज पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त शाहिद उर्फ पिंकू पुत्र सुन्दी अली नि0ग्राम कुरैशी का पुरवा, राहटीकर, थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ उम्-23 वर्ष के पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया तथा अभियुक्त जाकिर पुत्र शमशाद नि0ग्राम जगतपुर रोड़, थाना सलोन, जनपद रायबरेली उम्र-35 वर्ष को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान घायल शाहित उर्फ पिंकू उपरोक्त का इलाज हेतु सीएचसी लालगंज भेजा गया था, जहां से डॉक्टरों द्वारा बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर कर दिया है । एक बदमाश शमीम पुत्र अलेमान नि0ग्राम कुरैशी का पुरवा, राहटीकर, थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ रात के अंधेरे व भौगोलिक परिस्थिति का फायदा लेते हुए भाग गया है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश/प्रयास किया जा रहा है ।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये हुए बकरा/ बकरी बेचने से बचे 4300/- रुपये एवं 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया । जिसके संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 212/2025 धारा 109 (1), 352,351 (3) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

03- दिनांक 05/06.06.2025 को थाना बाघराय पुलिस व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोचनापुर ग्राउण्ड के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र बसंत कुमार यादव निवासी थरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, मूल पता निवासी ग्राम कोरारी गिरधर शाह थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी के दाहिने पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया व गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र यादव थाना महेशगंज के मु0अ0सं0-112/25 धारा 191(2),191(3), 190,109(1) ,352, 351(3)बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)va,3(2)v एससी/एसटी एक्ट का वाँछित अभियुक्त है । फायरिंग के दौरान घायल वीरेन्द्र यादव उपरोक्त का दवा इलाज सीएचसी बाघराय में चल रहा है । अन्य 04 अभियुक्त 1.अन्नू उर्फ मोनू उर्फ सुनील सरोज, 2.छोटू, 3.धर्मेन्द्र, 4. इमरान रात के अंधेरे व भौगोलिक परिस्थिति का फायदा लेते हुए भाग गये। जिनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश/प्रयास किया जा रहा है ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 चार पहिया वाहन(स्विफ्ट डिजायर) बरामद की गई । उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0-101/2025 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

04- दिनांक 07/08.06.2025 की रात्रि को थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राईस मिल तिराहा, सलेम भदारी में चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में ईनामिया 01 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पंचलाल वर्मा पुत्र देवतादीन नि0ग्राम मेढ़ावां, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ के पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया व गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पंचलाल वर्मा थाना लालगंज के 01. मु0अ0सं0 281/24 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना लालगंज,जनपद प्रतापगढ़, 02. मु0अ0सं0 192/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना लालगंज,जनपद प्रतापगढ़, 03. मु0अ0सं0 193/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना लालगंज,जनपद प्रतापगढ़ का वाँछित अभियुक्त है । फायरिंग के दौरान घायल ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पंचलाल वर्मा उपरोक्त का दवा इलाज सीएचसी लालगंज में चल रहा है ।

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी के 6250/- रुपये एवं 01 मोटर साईकिल बरामद किया गया । उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0216/2025 धारा109(1), 352,351(3) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । उक्त मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है ।

05- दिनांक 13.06.2025 को थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत पटेरियापुर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त आमिर खान उर्फ गोलू पुत्र इस्लाम नि0ग्राम मदनगढ़, बेलहा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष के पैर में लगी गोली लगने से

घायल हो गया तथा अभियुक्त वसीर पुत्र मुसाफिर नि0ग्राम सरदार का पुरवा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान घायल आमिर खान उर्फ गोलू उपरोक्त का दवा इलाज जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में चल रहा है ।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल व 700 रुपये बरामद, घटना मे प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद की गई । उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

06- थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही-
दिनांक 17.06.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गडई चकदेईया के पास पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ककरहा थाना अंतू के दाहिने पैर में गोली लगी तथा एक अन्य अभियुक्त इरशाद पुत्र मेहदी हसन निवासी पूरे भरत थाना अंतू को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर, कारतूस व घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद हुई।

पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 270/25 धारा 109 BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

07- थाना कोतवाली देहात पुलिस की कार्यवाही-
दिनांक 17/06/2025 को भदोई बायपास के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त रियाज पुत्र शोहराब निवासी ककरहा थाना अंतू के पैर में गोली लगी तथा अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया। कब्जे से तमंचा 12 बोर व कारतूस बरामद हुए।
सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा – मु0अ0सं0 144/25 धारा 109(1) BNS व 3/25 Arms Act थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

08- दिनांक 17.06.2025 को थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह का0 अमित प्रताप सिंह का0 विकेश मिश्रा चालक का0 जगजीत सिंह, प्रभारी चौकी मन्दाह उ0नि0 मिथिलेश चैरसिया मय हमराह का राहुल कुमार, प्रभारी चौकी विजहरा उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का० कपिल चैधरी, का0 अनूप सिंह थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस को शंका होने पर पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त आमिर उर्फ साजिद अली पुत्र नासिर अली उम्र 21 वर्ष निवासी बहरापुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़ के दाहिने पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया व गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान घायल आमिर उर्फ साजिद उपरोक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया है ।

घायल अभियुक्त आमिर उर्फ साजिद अली के विरुद्ध लूट व आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं तथा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार में हुयी फायरिंग की घटना में 04 व्यक्तियों को गोली लगने से घायल हो गये थे । जिसमें अभियुक्त आमिर उर्फ साजिद अली उपरोक्त घटना कारित करने वालों का सहयोगी था ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद की गई । उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0स0 142/25 धारा 109 (1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

09- दिनांक 18.06.2025 को थाना आसपुर देवसरा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पल्सर मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त मुबारक खान उर्फ जहरुल हसन पुत्र मुन्नू खान उर्फ ऐनुल हसन निवासी गनईडीह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र-23 के दाहिने पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया व गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के दौरान घायल मुबारक खान उर्फ जहरुल हसन उपरोक्त को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है ।

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार में हुयी फायरिंग की घटना में 04 व्यक्तियों को गोली लगने से घायल हो गये थे । जिसमें अभियुक्त मुबारक खान उर्फ जहरुल हसन उपरोक्त घटना कारित करने में सहयोगी था ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 01 मिस कारतूस व 01 पल्सर मोटर साइकिल बरामद की गई । उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0स0 170/25 धारा 109 (1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी-
50000/- रूपये से पुरस्कार घोषित 05 इनामिया गिरफ्तार
01- गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ (एसटीएफ प्रयागराज पुलिस)
02- महमूद खाँ पुत्र रमजान खाँ निवासी गलगलगोटिया थाना हरदत नगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती(प्रभारी निरीक्षक व मय फोर्स द्वारा)
03- महफूज पुत्र मोईनुद्दीन उर्फ मोईन निवासी पूरे देवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़(एसटीएफ कानपुर पुलिस)
04-शंहशाह पुत्र सोहराब निवासी तिवारीपुर खुर्द बहरूपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ (मा0 न्यायालय हाजिर)
5-कुलदीप पुत्र श्याम सुन्दर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मान्धाता हाल मुकाम बागी (सराय केशव) थाना मऊआइमा जिला प्रयागराज(एसटीएफ प्रयागराज)

25 हजार रूपये से पुरस्कार घोषित 07 इनामिया गिरफ्तार
01- सरफराज पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी ग्राम सुरवा मिश्रपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ (एसटीएफ)
02- पंचलाल वर्मा पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम मेढ़ावा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़(थाना स्थानीय पुलिस)
03- इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कांधला जिला शामली(थाना स्थानीय पुलिस)
04- मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कंधला जिला शामली(थाना स्थानीय पुलिस)
05- शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कांधला जिला शामली(थाना स्थानीय पुलिस)
06- राजेश कुमार उर्फ खन्ना पुत्र रामसागर निवासी ग्राम छेदक पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा(थाना स्थानीय पुलिस)
07- अलीम उर्फ मोनू पुत्र मो0 लतीफ निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़(थाना स्थानीय पुलिस)

02 गैंग सूचीबद्ध किया गया 06 अभियुक्तों के विरुद्ध

माह जून में जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु 06 अभियुक्तों के विरुद्ध 02 गैंग सूचीबद्ध किया गया। जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- गैंग नम्बरः-डी0-181/25 पंजीकृत दिनांकः-06.06.2025 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, बनाम 02 अभियुक्त गैंग प्रकार- गौवध एवं गौ तस्करी करना।

2- गैंग नम्बरः-डी0-182/25 पंजीकृत दिनांकः-09.06.2025 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, बनाम 04 अभियुक्त गैंग प्रकार- लूट/गोली मार कर हत्या कारित करना।

जनपद प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाना द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार 28 पीड़ित के ₹ 5,48,711/- रूपये वापस कराये गए।

साइबर ठगी से संबंधित प्राप्त 28 शिकायतों में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5,48,711/- (पांच लाख अढतालीस हजार सात सौ ग्यारह रुपये) की धनराशि पीड़ितों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध पर प्रभावी रोकथाम एवं पेशेवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु खोली गई 36 हिस्ट्रीशीट –

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं पेशेवर/अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही जारी है।

माह जून में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सतर्क निगरानी/ सत्यापन हेतु माह जून में प्रतापगढ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में कुल 36 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोली गई।

थाना फतनपुर में 08, थाना कोतवाली नगर में 06, थाना अंतू में 05, थाना रानीगंज में 04, थाना लालगंज में 02, थाना कुण्डा में 02, थाना मान्धाता में 02, थाना देल्हूपुर में 01, थाना सांगीपुर में 01, थाना उदयपुर में 01, थाना मानिकपुर में 01, थाना नवाबगंज में 01 हिस्ट्रीशीट, इस प्रकार कुल 36 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोला गया।

जनपद स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज थाना पट्टी पर जब्त 3096 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार निस्तारण/विनष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹88,00,000/- (अट्ठासी लाख रुपये) है।

मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा गठित टीम क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी, तहसीलदार पट्टी श्री पवन सिंह, अभियोजन अधिकारी श्री इन्द्रबली यादव, आबकारी अधिकारी श्री मैथिली शरण सिंह, द्वारा अवैध शराब विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें थाना प्रभारी पट्टी श्री मनोज कुमार, नारकोटिक्स सेल, उ0नि0 उपेंद्र त्रिपाठी सहित संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारीगण सम्मिलित रहे। अवैध शराब विनष्टीकरण कार्य मा० न्यायालय के दिशा-निर्देश एवं मादक पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु जारी गाइडलाइन के तहत किया गया। थाना परिसरों में वर्षों से जमा मादक पदार्थों के कारण उत्पन्न दुर्गंध, रिसाव व स्वास्थ्य जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे पदार्थों को विधिक आदेश के तहत नष्ट करने की नीति अपनाई गई है।

यह अवैध शराब मु0अ0सं0-441/2023, धारा 60(1)/63/72 उ.प्र. आबकारी अधिनियम व 419, 420 भा.दं.सं., थाना पट्टी से संबंधित थी, जिसे मा० न्यायालय से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ग्राम सभा सरसतपुर, मजरा पूरे खिरोधर, तालाब के पास नष्ट किया गया।

02 अभियुक्तों की कुल 01 करोड़ 94 लाख की सम्पत्ति कुर्क की गई-

01- थाना उदयपुर पुलिस द्वारा कुल कीमत-84 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया-

थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 03/2025, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त/गैंगलीडर चन्द्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी मोहम्मदपुर खास, थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ एक शातिर अपराधी है, जिसका एक संगठित गिरोह जनपद स्तर पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।

02- थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2014 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त/ गैंगलीडर गुलशन यादव पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ की पत्नी सीमा यादव के नाम आवासीय प्लॉट नं0 ई-137 क्षेत्रफल 187.95 वर्गमीटर (सम्पत्ति का मूल्य रु0-01 करोड़ 10 लाख) को स्थित वार्ड शारदा नगर साउथ सिटी, सदर लखनऊ का चिन्हीकरण कराकर नियमानुसार कुर्क कर जब्तीकरण का बोर्ड लगाया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप चिन्हित अपराधों में त्वरित सजा सुनिश्चित कराने हेतु चलाये गये आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 प्रकरण में 05 अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 01 प्रकरणों में 01 अभियुक्तों को 07 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई।

बयान– जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। माह जून में की गई मुठभेड़ों, गैंगस्टर के विरुद्ध दर्ज मुकदमों, इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी, हिस्ट्रीशीट खोलने एवं अवैध संपत्ति की कुर्की जैसी कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ पुलिस अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

जहाँ यह कार्यवाही अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि अपराध कर सुरक्षित नहीं रहा जा सकता, वहीं आमजन के लिए यह आश्वासन है कि पुलिस उनकी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 कणादमुनी व का0 सोनवीर देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में 104/24 में 01 नफर एनबीडब्ल्यू वारण्टी 1. राजाराम गुप्ता उर्फ राजू पुत्र जगलाल निवासी पूरे नरसिंह भान थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजाराम गुप्ता उर्फ राजू पुत्र जगलाल निवासी पूरे नरसिंह भान थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 कणादमुनी व का0 सोनवीर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 श्रीचन्द द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में परिवाद संख्या 618/12 धारा 379/452/323/504/506 भादवि थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी महेश पुत्र बाबूलाल सरोज नि0 ग्राम अर्जुनपुर रानीगंज कैथोला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.महेश पुत्र बाबूलाल सरोज नि0 ग्राम अर्जुनपुर रानीगंज कैथोला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 श्रीचन्द थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र लालगंज के ग्राम कहारन के पुरवा से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में दिनांक-24.04.2025 को मु0अ0सं0-143/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 नीरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग/ विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-143/2025 धारा 137(2), 87, 316(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र बड़ेलाल यादव निवासी ग्राम कहारन का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लालगंज के ग्राम कहारन के पुरवा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना लालगंज में पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2), 87 बीएनएस में धारा 316(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राहुल यादव पुत्र बड़ेलाल यादव निवासी ग्राम कहारन का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 नीरज कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बीट मुख्य आरक्षी अनीश कुमार व बीट आरक्षी अनीश की सतर्कता से 02 गैंगस्टर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
थाना देल्हूपुर के बीट मुख्य आरक्षी अनीश कुमार व बीट आरक्षी अनीश ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट मुख्य आरक्षी अनीश कुमार व बीट आरक्षी अनीश ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना देल्हूपुर के बीट मुख्य आरक्षी अनीश कुमार व बीट आरक्षी अनीश को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत कुशफरा रोड शनिदेव मोड के पास से गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट मुख्य आरक्षी अनीश कुमार व बीट आरक्षी अनीश के सहयोग से थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 64/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ में वांछित 02 अभियुक्तों, 1. राहुल पटेल पुत्र भोलानाथ पटेल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. विकास पटेल पुत्र शंकरलाल पटेल निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 01.07.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत कुशफरा रोड शनिदेव मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

01- अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र भोलानाथ पटेल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधित इतिहास-

01. मु0अ0सं0 101/2024 धारा 379 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 379 भादवि थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी ।

03. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- अभियुक्त विकास पटेल पुत्र शंकरलाल पटेल निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 101/2024 धारा 379 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 379 भादवि थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी ।

03. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रता

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 अजीत सिंह व बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कनौजिया, बीट आरक्षी विकास जायसवाल की सतर्कता से 25000/- रुपये ईनामिया 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह व बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कनौजिया, बीट आरक्षी विकास जायसवाल ने 25000/- रुपये ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

उ0नि0 अजीत सिंह व बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कनौजिया, बीट आरक्षी विकास जायसवाल ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह व बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कनौजिया, बीट आरक्षी विकास जायसवाल को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा कोल माइन के पास थाना कन्हान जिला नागपुर ग्रामीण महाराष्ट्र से 25000/- रुपये ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध अधि0, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि0 अजीत सिंह व बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कनौजिया, बीट आरक्षी विकास जायसवाल के सहयोग से थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 100/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ में वांछित 25000/- रुपये ईनामिया 01 अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ सतेन्द्र पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम महुआरीया थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर राज्य बिहार को कोल माइन के पास थाना कन्हान जिला नागपुर ग्रामीण महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

ईनामिया अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ सतेन्द्र पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम महुआरीया थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर राज्य बिहार का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(1) पशु क्रुरता अधिनियम व 419/420 भादवि थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ ।
2. मु0अ0सं0-100 /2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ ।